संख्या–372/XVIII(II)/2010–3(79)09

प्रेषक,

एस0के0 मुट्टू,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

राजस्व अनुभाग–2

देहरादूनःदिनांकः 25-5-2010

विषयः–ग्राम लाखामण्डल, तहसील चकराता, जिला देहरादून में 33/11 के0 वी0 उप संस्थान के निर्माण हेतु कुल 0.162 है0 भूमि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 को पट्टे पर आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्र सं0–773–12ए–78(2008–11), दि0 14.10.2009 के सन्दर्भ में एवं ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन की सहमति के क्रम में, मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल शासनादेश संख्या–258/16(1)/73–रा–1 दिनांक–09.05.1984 एवं यथा संशोधित शासनादेश संख्या–1695/97–1–1(60)/93–रा–1 दिनांक–12.09.1997 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार, ग्राम लाखामण्डल, तहसील चकराता, जिला देहरादून में 33/11 के0 वी0 उप संस्थान के निर्माण हेतु कुल 0.162 है0 भूमि उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0 को प्रचलित बाजार मूल्य के बराबर नजराना एक मुश्त जमा करने के अतिरिक्त उक्त भूमि की मालगुजारी के 150 गुने के बराबर धनराशि पूँजीकृत मूल्य के रूप में भुगतान करने पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन पट्टे पर आवंटित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

1. प्रश्नगत भूमि का उपयोग उसी कार्य विशेष के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत की गयी है।
2. प्रश्नगत भूमि किसी व्यक्ति व संस्थान या संगठन को बेचने/पट्टे पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरित करने का अधिकार पट्टेदार को नही होगा। भूमि का उपयोग आवंटन के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
3. प्रश्नगत भूमि पट्टेदार को राजस्व विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी सम्पत्ति के प्रबन्ध से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–150/1/85 (24)–रा–6 दिनांक–09अक्टूबर, 1987 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गवर्नमेन्ट ग्रान्ट्स एक्ट 1895 के अधीन पट्टा प्रथमतः 30 वर्षों के लिए होगा और पट्टेदार के लिए दो बार 30–30 वर्ष के लिए इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। सरकार को नवीनीकरण के समय लगान बढ़ाने का अधिकार होगा, जो पूर्व लगान के 1–1/2 गुना से कम नहीं होगा।
4. प्रश्नगत भूमि की आवश्यकता पट्टेदार को नही रह जायेगी तो भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग को वापस हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।

5. यदि भूमि/भवन का परित्याग कर दिया गया हो अथवा संस्था का विघटन हो जाता है तो भूमि/भवन सील सहित राज्य सरकार में सभी भारों से मुक्त निहित हो जायेगी।
6. आवंटन की अवधि समाप्त होने अथवा उपरोक्त शर्तो बिन्दुसंख्या–1 से 5 मे से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में प्रश्नगत भूमि निर्माण सहित राजस्व विभाग में निहित हो जायेगी, जिसके लिए कोई प्रतिकर देय नही होगा।
7. प्रश्नगत भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम लागू होने की दशा में भूमि के उपयोग का परिवर्तन तभी अनुमन्य होगा जब उक्त अधिनियम के अंतर्गत, नियत प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ली जाएगी।

2– उक्त आदेशों का नियमानुसार तत्काल कियान्वयन सुनिश्चित करते हुए शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में जनपद स्तर से निर्गत किए जाने वाले आदेश की एक प्रति यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0के0 मुट्टू)
प्रमुख सचिव।

पृ0प0सं0– 372 /संमदिनांकित/2010
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. आयुक्त गढवाल मण्डल पौड़ी।
4. प्रबंध निदेशक, उत्तराखण्ड पावर कार्पोरेशन लि0, देहरादून।
5. निदेशक एन0आई0सी0 उत्तराखण्ड सचिवालय।
6. प्रभारी मीडिया केन्द्र, सचिवालय।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(संतोष बडोनी)
अनुसचिव।